दिनांक- 29.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 637/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

जनपदीय स्वॉट/सर्विलांश एवं थाना चरखारी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही : चोरी की कई घटनाओं का अनावरण, दो शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से ₹33,610 नगद, 05 कारतूस .315 बोर, चोरी के जेवरात एवं सिक्के तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं के सफल अनावरण तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्रा के नेतृत्व में गठित थाना चरखारी पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

- दिनांक 28/29.08.2026 की रात्रि में थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग एवं थाना स्थानीय पर पंजीकृत चोरी के अभियोगों में अज्ञात अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर अर्जुन बांध नहर पुलिया, सबुआ रोड के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. श्याम बाबू राजपूत उर्फ प्रदीप पुत्र अरविन्द राजपूत, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम कुर्रा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।
2. सचिन राजपूत पुत्र सुग्रीव राजपूत, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम पहरा, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर।

पूछताछ का विवरण-

- गिरफ्तार अभियुक्तों से गहन पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे अपने एक अन्य साथी अंशू/आशू राजपूत पुत्र सिद्धगोपाल, निवासी ग्राम कुल्हेड़ा, थाना मझगवां, जनपद हमीरपुर के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर चोरी की घटनाएं करते हैं तथा चोरी किए गए सामान एवं जेवरात को बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं।

- पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा दिनांक 14/15.08.2026 की रात्रि में थाना चरखारी क्षेत्र के ग्राम सबुआ में चोरी की घटनाएं किए जाने की बात स्वीकार की गई। अभियुक्तों ने बताया कि वे चोरी करने के उद्देश्य से गांव में पहुंचे थे और विभिन्न घरों को निशाना बनाया। एक घर से नगदी, जेवरात एवं वहां रखी राइफल के कारतूस चोरी किए गए, जबकि अन्य घर से नगदी एवं जेवरात चोरी किए गए।

- अभियुक्तों ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि इसके पूर्व उन्होंने थाना पनवाड़ी क्षेत्र के ग्राम मारगपुरा तथा थाना कुलपहाड़ क्षेत्र के ग्राम बौरा में भी अपने अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी की घटनाएं कारित की थीं। अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए कुछ जेवरात बेच दिए जाने तथा शेष जेवरात एवं धनराशि को अपने पास रखने की बात बताई गई।

- पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 173/2026, धारा 305 बीएनएस तथा थाना पनवाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 134/2026, धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस से संबंधित चोरी की घटनाओं का भी अनावरण हुआ है। संबंधित थाना पुलिस को आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया है।

बरामदगी-

- ₹33,610/- नगद
- 05 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 04 अदद सफेद धातु के सिक्के
- 23 नग सफेद धातु के जेवरात
- एक मोटरसाइकिल संख्या UP91Y9582, घटना में प्रयुक्त

बरामदगी, पूछताछ एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर थाना चरखारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2026 एवं मु0अ0सं0 185/2026 अंतर्गत धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस में अभियुक्तों के नाम प्रकाश में लाते हुए धारा 317(2), 3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। साथ ही अभियुक्तों से अवैध कारतूस बरामद होने के संबंध में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। बरामद मोटरसाइकिल को संबंधित अभियोगों एवं नियमानुसार सीज किया गया है। अन्य प्रकाश में आए अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं शेष आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपदीय एसओजी एवं सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री विवेक यादव
3. कं. ऑ. अभिषेक वर्मा 4. कां. दीपक वर्मा
5. कां. रंजीत सिंह 6. कां. निर्भय सिंह
7. कां. आशीष बघेल 8.कां.सत्यम सिंह जादौन
9. कां. कुलदीय यादव 10.कां. नीलेश 11. कां. अभिषेक दुबे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्रा
2. उ.नि. रामकृष्ण तिवारी
3.हे0कां0 महेन्द्र कुमार गौतम
4.कां0 महेश प्रसाद
5.कां0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह

दिनांक- 29.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 635/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा

पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना श्रीनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष थाना श्रीनगर द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 मधुरेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह रि0का0 अंकित चौबे एवं रि0का0 सूरज कुमार द्वारा थाना श्रीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2026 धारा 64(1)/87/137(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरविन्द कुशवाहा को बस स्टैण्ड कस्बा श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरविन्द कुशवाहा पुत्र हजारीलाल कुशवाहा, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी मु0 बासपहाड़िया कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 126/2026 धारा 64(1)/87/137(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मधुरेश कुमार त्रिपाठी थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. रि0का0 अंकित चौबे थाना श्रीनगर जनपद महोबा
3. रि0का0 सूरज कुमार थाना श्रीनगर जनपद महोबा

दिनांक- 29.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 636/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष थाना खन्ना की देखरेख में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभियान के तहत उ0नि0 श्यामजी यादव मय हमराह कां0 राम कुमार द्वारा माननीय न्यायालय महोबा से निर्गत वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त राजू पुत्र बाला केवट, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम खम्हरिया थाना खन्ना जनपद महोबा को आज दिनांक 29.08.2026 को ग्राम खम्हरिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 74/2011 धारा 323/504/506 भादवि सम्बन्धित माननीय न्यायालय महोबा है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजू पुत्र बाला केवट, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम खम्हरिया थाना खन्ना जनपद महोबा

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 74/2011 धारा 323/504/506 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्यामजी यादव थाना खन्ना जनपद महोबा

2.कां0 राम कुमार थाना खन्ना जनपद महोबा

दिनांक- 29.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 637/26

महोबा पुलिस

ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव के भव्य जुलूस में दिखी बुंदेलखंड की गौरवशाली संस्कृति एवं वीरता की झलक महोबा की ऐतिहासिक धरती पर निकला भव्य जुलूस, आकर्षक झाकियों, बैंड-बाजों, नगाड़ों तथा सजे-धजे हाथी, घोड़े एवं ऊंट रहे आकर्षण का केन्द्र शांति, सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था हेतु महोबा पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध एवं सतत निगरानी

बुंदेलखंड की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक विरासत एवं वीरता के प्रतीक ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव का भव्य शुभारम्भ आज जनपद महोबा में मा. प्रभारी मंत्री महोबा, स्थानीय सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी महोबा श्रीमती ग़ज़ल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ।

ऐतिहासिक कजली मेला महोबा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बुंदेलखंड की लोक परंपराओं, शौर्य, वीरता एवं सामाजिक एकता की गौरवशाली पहचान को जीवंत करता है। इसी क्रम में आयोजित भव्य कजली मेला जुलूस में जनपदवासियों के साथ-साथ दूर-दराज क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं एवं दर्शकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

जुलूस के दौरान महोबा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की मनोहारी झलक देखने को मिली। आकर्षक एवं मनमोहक झांकियों, बैंड-बाजों की गूंज, नगाड़ों की धमक तथा सजे-धजे हाथी, घोड़े एवं ऊंटों ने जुलूस की भव्यता को और बढ़ा दिया। जुलूस में बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं अल्हा-ऊदल की शौर्यगाथा एवं वीरता को विभिन्न प्रस्तुतियों एवं झांकियों के माध्यम से सजीव रूप में प्रदर्शित किया गया।

कजली मेला केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह महोबा की ऐतिहासिक पहचान, बुंदेलखंड की लोक संस्कृति, वीरता एवं गौरवशाली परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है। जुलूस के दौरान विभिन्न समुदायों एवं वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए सामाजिक समरसता एवं आपसी भाईचारे का संदेश दिया।

सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा कजली मेला जुलूस को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। जुलूस के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा प्रमुख मार्गों, चौराहों, संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

जुलूस के दौरान भीड़ की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर भ्रमण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु पुलिस बल को पूरी तरह सतर्क एवं मुस्तैद रखा गया है।

इसके साथ ही जुलूस के सुचारु संचालन एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को भी प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। प्रमुख मार्गों एवं जुलूस मार्ग पर यातायात पुलिस एवं स्थानीय पुलिस द्वारा समन्वय स्थापित कर यातायात का सुगम संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं, दर्शकों एवं आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे कजली मेला जुलूस के दौरान निर्धारित मार्गों एवं सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें, पुलिस-प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में सहयोग प्रदान करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देते हुए केवल विश्वसनीय एवं अधिकृत स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

महोबा का ऐतिहासिक कजली मेला बुंदेलखंड की गौरवशाली संस्कृति, वीरता, परंपरा एवं सामाजिक एकता का ऐसा जीवंत उत्सव है, जिसमें इतिहास और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। परंपरा का गौरव, वीरता की गूंज और जन-जन का उत्साह—यही महोबा के ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव की विशिष्ट पहचान है।

महोबा पुलिस द्वारा कजली मेला महोत्सव के दौरान शांति, सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ ड्यूटी का निर्वहन किया जा रहा है।